समाहरणालय, मधेपुरा
(शस्त्र शाखा)
आदेश

श्री महेश्वरी प्रसाद मंडल, पिता–स्व0–युगल किशोर मंडल, सा0–मरूवाहा, पो0–भर्राही बाजार, थाना–मधेपुरा, जिला–मधेपुरा को एक 12 बोर डी0बी0बी0एल0 दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 104/K प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या–7505818 धारित है। इनके पुत्र श्री भूलोक चन्द्र प्रसाद, पिता स्व0–महेश्वरी प्रसाद मंडल, सा0–मरूवाहा, पो0–भर्राही बाजार, थाना–मधेपुरा, जिला–मधेपुरा वर्त्तमान पता–मोहल्ला गुलजारबाग वार्ड नं0–20, मधेपुरा, पो0+थाना+जिला–मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता–महेश्वरी प्रसाद मंडल की मृत्यु दिनांक 08.05.2015 को हो चुकी है एवं उक्त शस्त्र को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः श्री भूलोक चन्द्र प्रसाद, पिता स्व0–महेश्वरी प्रसाद मंडल द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत उनके पिता स्व0 महेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से निर्गत 12 बोर डी0बी0बी0एल0 दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 104/K को रद्द किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् धारित दो नाली बन्दूक संख्या–7505818 को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदक श्री भूलोक चन्द्र प्रसाद, पिता स्व0–महेश्वरी प्रसाद को निदेश दिया जाता है कि मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जाम किए गए शस्त्र की पावती रसीद की प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या–7505818 को अपने प्रतिष्ठान में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

सो0/–
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 379 /वि0, मधेपुरा, दिनांक 24/10/15

प्रतिलिपि : श्री भूलोक चन्द्र प्रसाद, पिता स्व0–महेश्वरी प्रसाद मंडल, सा0–मरूवाहा, पो0–भर्राही बाजार, थाना–मधेपुरा, जिला–मधेपुरा वर्त्तमान पता–मोहल्ला गुलजारबाग वार्ड नं0–20, मधेपुरा, पो0+थाना+जिला–मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।